न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 8/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/18

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री सुर्या सिंह सोलंकी पिता श्री जय सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती राजेश्वरी कुंवर पत्नि श्री सुर्या सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
3. श्री विजय सिंह पिता श्री श्री सुर्या सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)
4. श्री विरेन्द्र सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह चंद्रावत जाति राजपुत निवासी 16,राजपुत मौहल्ला गढी, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 08.09.2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री सुर्या सिंह सोलंकी पिता श्री जय सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती राजेश्वरी कुंवर पत्नि श्री सुर्या सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) को दिनांक 30.03.2016 को राशि रुपया 3,00,000 (अक्षरे तीन लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। जिसमे जमानतदार श्री विजय सिंह पिता श्री सुर्या सिंह सोलंकी जाति राजपुत निवासी 329, भोईवाडा–2, गढी तहसील गढी जिला बॉसवाडा व श्री विरेन्द्र सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह चंद्रावत जाति राजपुत निवासी 16,राजपुत मौहल्ला गढी, तहसील गढी जिला बॉसवाडा है। [illegible] खाते दिनांक 25–08–2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 05,05,200 रू. (पॉच लाख पाच हजार दो सौ [illegible]) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु सिक्योरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री सुर्या सिंह सोलंकी पिता श्री जय सिंह सोलंकी की सम्पत्ति जो पट्टा नं.53 दिनांक 25.01.2003, संकल्प सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

..03.2003 गढी, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जो माप लगभग 1320 वर्ग फीट है। जिसमें ..... भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में आंगन, पश्चिम में श्री रमेश का ..कान, उत्तर में श्री गौतम का मकान, दक्षिण में श्री विक्रम सिंह पिता श्री जय सिंह का मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 26–08–2020 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.03.2021 को जारी किये गए। दिनांक 05.04.2021 को अप्रार्थीगण उपस्थित हुए तथा ऋण राशि अदायगी एवं जवाब प्रस्तुत करने समय चाहा। तत्पश्चात् अनुपस्थित रहने पर दिनांक 26.07.2021 को न्याय हित में सूचना पत्र जारी किये गए। सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 08.09.2021 को अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के [illegible] योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयो[illegible] है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात [illegible]स.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

...न लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner